न्यायालय भू–अभिलेख अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :– श्री भागीरथराम आर.ए.एस.

राजस्व प्रकरण सं. 487/2017

प्रार्थी व नाम	विप्रार्थीगण
हीराराम पुत्र हड़वंताराम जाति जाट निवासी कोडुका तहसील पचपदरा	1. पन्नाराम पुत्र लादुराम जाति जाट 2. गजुदेवी पत्नि लूम्बाराम जाति जाट निवासियान कोडुका तह. पचपदरा 3. राजस्थान राज्य द्वारा जरिये प्रतिनिधी भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 रा. भू. रा. अधिनियम

उपस्थित –

1. श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता, प्रार्थी की ओर से –
2. श्री छत्रकरण सैन अधिवक्ता, विप्राथीगण 1 व 2 की ओर से –

आदेश

दिनांक : 21.11.2017

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि सरहद मौजा कोडुका में खसरा संख्या मूल 21 अवस्थित रहा है, तदोपरान्त खसरा सं. 21 के दो भाग 153/21, 152/21 कुल रकबा 83 बीघा 03 विस्वा बने। उक्त खसरो का बंटवाडा प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण की सहमति से किया, जिससे रेकर्ड़ में प्रार्थी के नाम खातेदारी का खसरा सं. 225/21 रकबा 14 बीघा 04 विस्वा एवं 227/21 रकबा 12 बीघा 16 विस्वा कुल रकबा 27 बीघा रखा, इसी प्रकार विप्रार्थी सं. 1 पन्नाराम के हिस्से में खसरा सं. 153/21 रकबा 27 बीघा तथा विप्रार्थी सं. 2 गजुदेवी के हिस्से में खसरा सं. 152/21 रकबा 27 बीघा रखा गया और प्रार्थी एवं दोनो विप्रार्थीगण के संयुक्त खाते में वास्ते आवागमन के रास्ते हेतु रखी गई भूमि खसरा सं. 226/21, 228/21 क्रमश रकबा 07 विस्वा व 1 बीघा 16 विस्वा रखा गया। मौके की वस्तुस्थिति को सुस्पष्ट करने हेतु परिशिष्ट 'अ' प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। नक्शा लट्टा ट्रेस में मौके पर परिशिष्ट 'अ' अनुसार जो स्थिति है, उसी अनुसार तरमीम करने हेतु नक्शा तैयार करवाया था, किन्तु सहवन से उक्त नक्शा लट्टा ट्रेस में तरमीम मौके की स्थिति के विपरीत कर दी और ऐसी तरमीम करने से प्रार्थी की ट्युबवेल को विप्रार्थी सं. 2 के हिस्से वाली भूमि में रख दी तथा प्रार्थी की ढाणी के नजदीक रास्ते हेतु रखी हुई भूमि की तरमीम कर दी। ऐसे तथ्यो की कोई जानकारी प्रार्थी या विप्रार्थीगण को नही रही, विगत दिनांक 08.07.2017 को उप तहसीलदार पाटोदी से उक्त भूमियो के सीमाज्ञान नाप हेतु आदेश प्राप्त किया और हल्का पटवारी द्वारा भूमि का सीमाज्ञान किया, तब उक्त तथ्य की जानकारी हुई की, नक्शे में तरमीम व मौका अनुसार भूमि की स्थिति मिलान नही हो रही है, ऐसी स्थिति में उक्त तरमीम को मौके अनुसार दुरूस्त करवाना आवश्यक हो गया। प्रार्थी खसरा सं. 225/21, 227/21 का खातेदार है, इस कारण उक्त दोनो खसरान का रकबा कम ज्यादा होकर कुल 27 बीघा ही बनता है, इसी प्रकार खसरा सं. 152/21 रकबा 27 बीघा में तरमीम दुरूस्त करने से विप्रार्थी सं. 2 को कोई क्षति नही होगी। विप्रार्थी सं. 1 का हिस्सा उक्त तरमीम दुरूस्ती या जमाबंदीयो खतोनी में दर्ज खसरो का रकबा दुरूस्त करने से किसी प्रकार से प्रभावित नही होगा, जो रकबा दुरूस्त होगा वो जमाबंदी में प्रार्थी के नाम दर्ज है यानि

.....2...

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner

प्रभावित होने वाले खसरो का खातेदार प्रार्थी ही है, कम ज्यादा होने से विप्रार्थीगण के विधिक हक दुष्प्रभावित नही हो रहे है। इसलिए मौके पर जो विवाद हैं, उसका भी निस्तारण हो, एवं रेकर्ड भी दुरस्त हो, ऐसा करने हेतु वर्तमान आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा रहा हैं।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया, जिस पर विप्रार्थी सं. 01 व 02 ने लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि, उपरोक्त खसरान में संलग्न परिशिष्ट अनुसार नक्शा एवं खतौनी में माफिक मौका स्थिति दुरस्ती की जाती हैं, तो विप्रार्थीगण सं. 01 व 02 को कोई आपत्ति नहीं हैं ।

दोनों पक्षों के लिखित जवाब के पश्चात तहसीलदार पचपदरा से मौका रिपोर्ट तलब की, जिसमें तहसीलदार पचपदरा ने दर्शाया कि मौके पर नक्शा परिशिष्ट 'अ' अनुसार खातेदार हीराराम वल्द हड़वंताराम कौम जाट के नाम दर्ज खातेदारी खसरा सं. 225/21 रकबा 14 बीघा 04 बिस्वा के स्थान पर 20 बीघा 08 बिस्वा एवं खसरा सं. 227/21 रकबा 12 बीघा 16 बिस्वा के स्थान पर 06 बीघा 12 बिस्वा दर्ज किया जाकर मौका अनुसार तरमीम दुरस्त किया जाना उचित हैं, रिपोर्ट के साथ प्रस्तावित तरमीम का नक्शा भी सभी पक्षकारान के हस्ताक्षर अंगुष्ठ निशान करवा कर प्रस्तुत किया ।

हमने उभय पक्षों के उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस को सुना, पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया ।

चूँकि पक्षकारगण ने रेकर्ड में हुई त्रुटि को दुरस्त करवाने में सहमति प्रदान की हैं, तथा उक्त त्रुटि रेकर्ड में दर्ज हैं, उक्त तथ्य मौके की मंगवायी गयी मौका रिपोर्ट व नक्शा से ही स्पष्ट जाहिर हो रही हैं, और ऐसी त्रुटि को दुरस्त किया जाता हैं तो पक्षकारान के मध्य उत्पन्न होने वाले विवाद का भी निस्तारण होगा, अलावा इसके जिस खसरें यानि खसरा सं. 225/21 का रकबा बढ़ रहा हैं, तथा खसरा सं. 227/21 जिसका रकबा घट रहा हैं, दोनों ही खसरान का खातेदार एकल प्रार्थी ही हैं, और रकबा भी यथावत यानि कुल 27 बीघा ही रहता हैं, अलावा इसके ऐसी दुरस्ती करने से राज्य के कोई हित प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

अतः उपरोक्त समस्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 131, 136 रा. भू. रा. 1956 स्वीकार कर भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा को आदेश दिया जाता हैं कि भूमि खसरा सं. 225/21 वर्तमान खतौनी अनुसार रकबा 14 बीघा 04 बिस्वा हैं, को दुरस्त कर उसके स्थान पर 20 बीघा 08 बिस्वा, इसी प्रकार खसरा सं. 227/21 वर्तमान खतौनी अनुसार रकबा 12 बीघा 16 बिस्वा हैं, को दुरस्त कर उसके स्थान पर 06 बीघा 12 बिस्वा दर्ज कर खतौनी दुरस्त करें तथा लट्ठा ट्रेस में तरमीम इसी रकबे अनुसार व वर्तमान नक्शें में गजुदेवी के खातेदारी की भूमि खसरा सं. 152/21 रकबा 27 बीघा की तरमीम भी मौका फर्द के संलग्न प्रस्तावित तरमीम नक्शा माफिक दुरस्त कर रेकर्ड को दुरस्त किया जावे ।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें ।

आदेश आज तारीख 21.11.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथराम)
भू-अभिलेख अधिकारी (S.D.O.),
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा,
बालोतरा।

Scanned by CamScanner